



भारत सरकार और UNLF के बीच शांति समझौता

प्रलम्ब के लिये:

यूनाइटेड नेशनल लबरेशन फ्रंट (UNLF), [गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, 1967](#), [सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस \(SoO\) समझौता](#), वदिरोही समूह, कुकी समूह, इनर लाइन परमिट (ILP), [अनुच्छेद 244 \(1\)](#), [अनुच्छेद 244 \(2\)](#)

मेन्स के लिये:

[प्रवोत्तर में उग्रवाद](#) से नपिटने के लिये शांति समझौते का विश्लेषण

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लबरेशन फ्रंट (UNLF) के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये, जो मणिपुर का सबसे पुराना घाटी-आधारित वदिरोही समूह है।

यूनाइटेड नेशनल लबरेशन फ्रंट (UNLF) क्या है?

- NLF का गठन वर्ष 1964 में हुआ था और यह राज्य के नगा-बहुल एवं कुकी-जोमी प्रभुत्व वाली पहाड़ियों में सक्रिय वदिरोही समूहों से अलग है।
- UNLF उन सात "मैतेई चरमपंथी संगठनों" में से एक है जिन पर केंद्र सरकार ने [गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, 1967](#) के तहत प्रतिबंध लगाया है।
- UNLF भारतीय सीमा/क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह काम कर रहा है।
- ऐसा माना जाता है कि UNLF को शुरुआत में NSCN (IM) से प्रशिक्षण मिला था, जो नगा गुटों में सबसे बड़ा वदिरोही समूह था।
- यह मणिपुर के सभी घाटी क्षेत्रों और कुकी-जोमी पहाड़ी जिलों के कुछ गाँवों में संचालित होता है।
- यह एक प्रतिबंधित समूह है, यह अधिकतर म्यांमार की सेना के समर्थन से म्यांमार के सागांग क्षेत्र, चनि राज्य और राखिन राज्य में शक्ति एवं प्रशिक्षण अड्डों से संचालित होता है।

शांति समझौते का उद्देश्य:

- इस समझौते से विशेष रूप से मणिपुर और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में शांति के एक नए युग की शुरुआत में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
- यह पहला उदाहरण है जहाँ घाटी के एक मणिपुरी सशस्त्र समूह ने [भारत के संविधान](#) का सम्मान करने और देश के कानूनों का पालन करने की प्रतिबद्धता जताते हुए हिसा को त्यागने, समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है।
- यह समझौता न केवल यूएनएलएफ और सुरक्षा बलों के बीच शत्रुता को समाप्त करेगा, जसिने वगित पाँच दशक से अधिक समय में दोनों पक्षों के बहुमूल्य जीवन जीने का दावा किया है, बल्कि समुदाय की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्रदान करेगा।
- यूएनएलएफ की मुख्यधारा में वापसी से घाटी स्थिति अन्य सशस्त्र समूहों को भी शांति प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रोत्साहन मलिया।
- सहमत ज़मीनी नियमों के कार्यान्वयन की नगिरानी के लिये एक शांति नगिरानी समिति (पीएमसी) का गठन किया जाएगा।

मणिपुर के अन्य उग्रवादी समूह:

- मणिपुर के कई अन्य वदिरोही समूह हैं कांगलेइपक कमयुनसिट पार्टी (केसीपी), पीपुल्स लबरेशन आरमी (पीएलए), कांगलेई यावोल कनना लूप (केवाईकेएल), पीपुल्स रविलयूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेइपाक (पीआरईपीएके), नेशनल सोशलसिट काउंसिल ऑफ नगालैंड - खापलांग (एनएससीएन-के)।
- 2008 में केंद्र सरकार, मणिपुर राज्य और कुकी-जोमी क्षेत्र के वदिरोही समूहों को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय [सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस \(एसओओ\)](#) समझौता स्थापित किया गया था।

सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) संधिक्रिया है?

- कुकी के साथ SoO समझौते पर वर्ष 2008 में भारत सरकार और मणपुरि व नगालैंड के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विभिन्न कुकी आतंकवादी समूहों के बीच युद्धविराम समझौते के रूप में हस्ताक्षर किये गए थे।
- समझौते के तहत कुकी आतंकवादी समूह हसिक गतिविधियों को बंद करने और नगिरानी के लिये नरिदषिट शक्ति में सुरक्षा बलों के आने पर सहमत हुए।
- इसके बदले में भारत सरकार कुकी समूहों के खिलाफ अपने अभियान को नलिंबति करने पर सहमत हुई।
- संयुक्त नगिरानी समूह (JMG) समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन की देख-रेख करता है।
- राज्य और केंद्रीय बलों सहित सुरक्षा बल व भूमिगत समूह अभियान शुरू नहीं कर सकते।

वदिरोही समूहों से नपिटने के लिये प्रशासनिक व्यवस्थाएँ क्या हैं?

- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER):
 - यह क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास योजनाओं और परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और नगिरानी से संबंधित मामलों के लिये ज़िम्मेदार है।
- इनर लाइन परमिट (ILP):
 - मज़ोरम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी लोगों की मूल पहचान बनाए रखने के लिये बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, इनर लाइन परमिट (ILP) के बिना बाहरी लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं है।
- संवैधानिक प्रावधान:
 - इन प्रावधानों के अनुसरण में कारबी आंगलॉग, खासी पहाड़ी ज़िले, चकमा ज़िले आदि जैसे विभिन्न जातीय समूहों की मांगों को पूरा करने के लिये विभिन्न स्वायत्त ज़िले बनाए गए हैं।
 - अनुच्छेद 244 (1) में प्रावधान है कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन या नयितरण पर लागू होंगे।
 - अनुच्छेद 244 (2) में प्रावधान है कि 6वीं अनुसूची के प्रावधान इन राज्यों में स्वायत्त ज़िला परिषद बनाने के लिये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मज़ोरम राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन या नयितरण पर लागू होंगे।

नषिकर्ष:

मणपुरि के साथ वृहद पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति लाने के लिये केंद्र और मणपुरि की सरकारों एवं UNLF के मध्य शांति समझौता आवश्यक है। ऐतिहासिक समझौता UNLF को मुख्यधारा में वापस लाकर लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के समाधान की दशा में अग्रसर है। जबकि अन्य वदिरोही समूहों के साथ तुलनीय समझौते क्षेत्रीय मुद्दों को हल करने और विकास को बढ़ावा देने के लिये नरितर प्रयासों का संकेत देते हैं, शांति नगिरानी समिति ज़मीनी मानदंडों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये बाहरी राज्य और गैर-राज्य अभिनिताओं द्वारा उत्पन्न बहुआयामी चुनौतियों का वश्लेषण करें, साथ ही इन खतरों से नपिटने के लिये उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों पर भी चर्चा कीजिये। (2021)